उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–1

संख्या13/2/1997–का–1-2013
लखनऊ, 30 दिसम्बर, 2013

दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013" की प्रति प्रतिलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4–प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

6–प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

7–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

8–सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश।

9–मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी।

10–निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

11–वेब मास्टर/वेब अधिकारी, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।

12–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
योगेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव।

क्रम-संख्या-339(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 दिसम्बर, 2013

पौष 9, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या 13/2/1997-का-1-2013

लखनऊ, 30 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-78

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 कहीं जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में कोई सिविल पद धारण करते हों और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रणाधीन हों।

अध्यारोही प्रभाव

2-इस नियमावली के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं

3-जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,-

(क) किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों के

अधीन ऐसे पद पर या सेवा में नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ग) "संवर्ग" का तात्पर्य किसी सेवा की या पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत, सेवा के किसी भाग की सदस्य संख्या से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(छ) "सेवा" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों में यथा परिभाषित सेवा से है;

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

परिवीक्षा, जहां आवश्यक हो

4–(1) सीधी भर्ती के माध्यम से, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है :

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(2) भर्ती के स्रोतों में से एक यदि सीधी भर्ती है, तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है :

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किसी पद पर समायोजन, आमेलन या संविलियन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है :

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(4) जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है, किसी पद पर, यदि पद भिन्न सेवा या समूह का है, मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है :

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर, परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

5–किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा यदि उसे उसी समूह के किसी पद पर, जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है, विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है। परिवीक्षा जहां आवश्यक न हो

6–यह नियमावली वहां नहीं लागू होगी जहां नियुक्तियां ऐसे अधिष्ठानों के अधीन पदों पर की गई हों, जिनका सृजन एक निश्चित एवं पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिये किया गया है, यथा–समितियां, जांच आयोग, आपात विशेष से निपटने के लिये सृजित किये गये संगठन, जिनके कुछ वर्षों से अधिक बने रहने की आशा नहीं है, विनिर्दिष्ट अवधि हेतु परियोजनाओं के लिये सृजित पद और पूर्णतः अस्थायी संगठन। पद, जिन पर यह नियमावली लागू न होगी

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/2/1997-Ka-1-2013, dated December 30, 2013:

No. 13/2/1997-Ka-1-2013
Dated Lucknow, December 30, 2013

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :–

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS PROBATION RULES, 2013

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013. Short title, commencement and application

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall apply to all persons holding a civil post in connection with the affairs of Uttar Pradesh and who are under the rule making control of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

2. The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force. Overriding effect

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :– Definitions

(a) "Appointing Authority" in relation to any post or service means the authority empowered to make appointment to such post or service under the relevant service rules or the executive instructions issued by the Government;

(b) "Constitution" means the Constitution of India:

(c) "Cadre" means the strength of a service or part of service sanctioned as separate unit;

(d) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(e) "Governor" means the Governor of the Uttar Pradesh;

(f) "Government Servant" means a person appointed to a public service or post in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh;

(g) "Service" means the service as defined in the relevant service rules or the executive instructions issued by the Government from time to time;

(h) "Substantive appointment" means an appointment not being *an ad-hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.

Probation where necessary

4. (1) A person on substantive appointment to a post through direct recruitment shall be placed on probation for a period of two years. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(2) A person on substantive appointment to a post by promotion, if direct recruitment is one of the sources of recruitment, shall be placed on probation for a period of two years. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) A person appointed on a post by adjustment, absorption or merger in accordance with the procedure prescribed in the relevant service rules, shall be placed on probation for a period of one year. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond six months and in no circumstance beyond one years.

(4) A person on substantive appointed to a post where promotion is the only source of recruitment, if the post belongs to a different Service or Group, shall be placed on probation for a period of one year. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond six months and in no circumstance beyond one years.

Probation where not necessary

5. It will not be necessary to place a person on probation if he is promoted on a regular basis after following the prescribed procedure to a post belonging to same Group where promotion is the only source of recruitment.

Posts to which these rules shall not apply

6. These rules shall not apply where appointments are made against posts under establishments, which are created for definite and purely temporary periods such as Committees, Commission of Enquiry, Organizations created for meeting a particular emergency which is not expected to last for more than a few years, posts created for projects for specified periods and purely temporary Organizations.

By order,
RAJIV KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 679 राजपत्र (हि0)–2013–(1443)–599 प्रतियां (क0 / टी0 / आ0)।
पी0एस0यू0पी–ए0पी0 15 सा0 नियुक्ति–2013–(1444)–4000 प्रतियां (क0 / टी0 / आ0)।